सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

73] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 1992/कार्तिक 1, 1914
73] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 1992/KARTIKA 1, 1914

स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

eparate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1992

का.आ. 779 (अ) :—कयर बोर्ड द्वारा कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, रेयों की सेवा शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) उप-विधि, 1955 की उप-विधि 15 उप-विधि 16 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की 27 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

नाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि की गई कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण ोर अपील) उप-विधि, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उप-विधियां क्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित रूप में प्रकाशित की जाती अर्थात् :—

1. (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण ोर अपील) संशोधन उप-विधि 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उप-विधि, 1969 की उप-धि 12 के खण्ड (4) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह जांच प्राधिकारी से भिन्न है तो बोर्ड के र्मचारी की जांच रिपोर्ट की एक प्रति जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर म्यावेदन या प्रतिवेदन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए देगा और बोर्ड के कर्मचारी के म्यावेदन या प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी अपना आदेश रेगा ।"

[फा. सं. 2(38)/92—कयर]
एस.बी. मोहपात्रा, संयुक्त सचिव

द टिप्पण

मूल उप-विधियां, भारत के राजपत्र में का.आ.सं. 200 तारीख 18 जनवरी, 969 के द्वारा प्रकाशित की गई थीं और पश्चात्वर्ती इनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया ा —

1. अधिसूचना का.आ. 2279 तारीख 12 जुलाई, 1975
2. अधिसूचना का.आ. 4389 तारीख 20 नवम्बर, 1976
3. अधिसूचना का.आ. 4372 तारीख 17 नवम्बर, 1983
4. अधिसूचना का.आ. 1075(अ) तारीख 22 नवम्बर, 1988

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1992

S.O. 779(E) :—The following bye-laws further to amend the Coir Board vices (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969 made by the Coir

in exercise of powers conferred by Clause (d) of sub-section (i) of Sec- of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-laws 15 and the Coir Board (transaction of Business, Conditions of Service of Em- and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955 and confirmed by the Government, are hereby published as required by sub-section (2) of 27 of the said Act, namely :—

(1) These Bye-laws may be called the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Bye-laws, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-969, in bye-law 12 in clause (4), the following proviso shall be added, :—

ovided that the disciplinary authority, if it is different from the inquiring ty, shall furnish a copy of the inquiry report to the Board's employee to him to make representations or submissions within fifteen days of the of the inquiry report, and after considering representation or submissions Board's employee, the disciplinary authority shall make its order."

[F. No. 2(38)|92-COIR.]
S. B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

NOTE

e principal Bye-laws were published in the Gazette of India vide S. O.)0 dated the 18th January, 1969 and subsequently amended vide

1. Notification S.O. 2279 dated the 12th July, 1975.
2. Notification S.O. 4389 dated the 20th November, 1976.
3. Notification S.O. 4372 dated the 17th November, 1983.
4. Notification S.O. 1075(E), dated the 22nd November, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992